

राजस्थान-सरकार  
कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  
जयपुर ग्रामीण

☎ :- 0141-2209776

E-Mail :- sjejaipur rural@yahoo.co.in

क्रमांक: एफ 1/स्था./सान्याआवे./2017/01

दिनांक 28.07.2017


**:- विज्ञप्ति :-**

तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण हेतु जिला स्तरीय समिति के गठन हेतु सामाजिक कार्यकर्ता एवं तृतीय लिंग वर्ग के दो प्रतिनिधियों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने बाबत।

तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों के कल्याणार्थ जिले में जिला स्तरीय समिति का गठन जिला कलक्टर जयपुर की अध्यक्षता में किया जाना प्रस्तावित है। समिति जिला स्तर पर तृतीय लिंग वर्ग के व्यक्तियों की पहचान कर प्रमाण-पत्र/पहचान-पत्र जारी करने का कार्य करेगी। यह प्रमाण-पत्र/पहचान-पत्र सभी राजकीय प्रयोजनों के लिये जैसे राशनकार्ड, आधारकार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि के लिये मान्य होगा। जिसमें निम्नानुसार सदस्यों के चयन हेतु आवेदन पत्र/प्रस्ताव दिनांक 31.07.2017 से 08.08.2017 तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण, जिला परिसर परिसर, जयपुर में जमा करवायें।

| क.स. | पदनाम                           | पद    |
|------|---------------------------------|-------|
| 1    | एक सामाजिक कार्यकर्ता           | सदस्य |
| 2    | तृतीय लिंग वर्ग के दो प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3    | मनोवैज्ञानिक                    | सदस्य |

मनोवैज्ञानिक की शैक्षणिक योग्यता एम.ए. (साइकोलोजी) होगी एवं अनुभवी व्यक्ति को वरीयता प्रदान की जायेगी, जिसका मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, तथा ये बिना कारण बताये हटाये जा सकेंगे।

  
28-7-17

(चन्द्र शेखर)  
उपनिदेशक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
जयपुर (ग्रामीण)